

जातीय समानता को बढ़ावा देने के
मौजूदा और योजनाबद्ध उपाय

सचिवालय, संचार और निगरानी के अवरोधन के आयुक्त
(सेक्रेटरीयट, कमिश्नर आन इंटरसेप्शन आफ कम्यूनिकेशन्स ऐन्ड सर्वेलेन्स)

सचिवालय, संचार और निगरानी के अवरोधन के आयुक्त (सचिवालय) का उद्देश्य, संचार और निगरानी के अवरोधन के आयुक्त (कमिश्नर) को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनके अधिकारियों को प्रासंगिक आवश्यकताओं के लिए संचार और निगरानी के अवरोधन आध्यादेश (कैप. 589) (अध्यादेश) के तहत अनुपालन की देखरेख के लिए समर्थन प्रदान करना है।

A. मौजूदा उपाय

(I) निरीक्षण के लिए आवेदन

- | | |
|----------------|---|
| संबंधित सेवाएं | 1) सचिवालय कमिश्नर को अध्यादेश के तहत निरीक्षण के लिए आवेदन को संसाधित करने में सहायता प्रदान करता है। |
| मौजूदा उपाय | 2) सेवाएं चीनी और अंग्रेजी में प्रदान की जाती हैं। आवेदन के लिए प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देश और व्यक्तिगत आंकड़े के उपयोग पर सहमति प्रपत्र जनता के लिए चीनी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं। |

(II) वार्षिक रिपोर्ट

- | | |
|----------------|---|
| संबंधित सेवाएं | 3) यह सचिवालय मुख्य कार्यकारी के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने |
|----------------|---|

में कमिश्नर की सहायता करता है।

मौजूदा उपाय

4) जनता के लिए वार्षिक रिपोर्ट चीनी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं।

B. योजनाबद्ध उपाय

लिए जाने वाले

5) हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे कि जरूरत

अतिरिक्त उपाय

पड़ने पर विविध जातियों के साथ जनता के सदस्यों को दी गई जानकारी बोधनीय हो।

भविष्य के काम का

6) हम मौजूदा उपायों को लागू करना जारी रखेंगे और आवश्यक सुधार

मूल्यांकन

के लिए नियमित रूप से हमारी वितरण सेवा की समीक्षा करेंगे।

C. पूछताछ

जातीय समानता को बढ़ावा देने के मौजूदा और योजनाबद्ध उपायों से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया सहायक सचिव (5) से निम्नलिखित चैनल्स के माध्यम से संपर्क करें –

टेलीफोन

: (852) 2834 3361

फैक्स

: (852) 2573 2610

ई-मेल

: enquiry@ciocsoffice.gov.hk

सचिवालय, संचार और निगरानी के अवरोधन पर आयुक्त

मई 2025